


6/03/25


पत्रावली पेश हुई। वकील अधपक्ष उपर प्रतिष्ठे सं 4/3, 5 व 6 अनुपस्थित। तीस बार आवाज लगायी। अनुपस्थित है। अतः प्रतिष्ठे सं 4/3, 5 व 6 के विरुद्ध पक्षीय कार्यवाही की जायी है। पत्रावली वास्ते जवाब दावा प्रतिष्ठे 1 से 3 व 7 प्रिमेक 8/05/25 को पेश हो।


06/3/25

08/5/25

पत्रावली पेश हुई। अग्रिम वादी अनुपस्थित। वादी भी अनुपस्थित। तीन बार कूक-कूक कर आवाज लगाई गई। लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 CPC अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल वफ्तर् हो।




08/5/25

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड(राज.)

